प्रशासन एवं वित्त

1. प्रशासन

2. वित्त

3. सीएजी लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सत्यमेव जयते

प्रशासन एवं वित्त

1. प्रशासन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) का गठन जनवरी, 1985 में किया गया था। विभाग में प्रशासन डिवीजन के स्थापना अनुभाग, सामान्य अनुभाग तथा सतर्कता एकक, कार्मिक, (समूह 'क') वैज्ञानिकों के लिए लागू पदोन्नति कार्य पद्धति लचीली अनुपूरक स्कीम (एफसीएस) का क्रियान्वयन, अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति, सतर्कता मामले, प्रशासनिक सुधार तन्त्र, सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित कार्य, कर्मचारी वेलफेयर तथा सहयोग इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान किया जाता है।

चूंकि डीएसटी और डीएसआईआर दोनों एक ही परिसर में स्थित है, और सभी समारोह जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापना दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस, सेवा-निवृत्ति बैठकें, सदभावना दिवस, खेलों, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम, हिन्दी पखवाड़ा, सर्तकता सप्ताह, योग दिवस आदि दोनों विभागों के सक्रिय सहयोग से एक सामान्य समारोह के रूप में मनाये जाते हैं।

	सामान्य	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	ओबीसी	कुल
समूह 'क' (राजपत्रित)	27*	04	01	04	36
समूह 'ख' (राजपत्रित)	05	01	00	00	06
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	12	05	01	03	21
समूह 'ग' (अराजपत्रित)	03	07	01	03	14
कुल	47*	17	03	08	77*

* संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पद को छोड़कर जो कि नोशनल आधार पर है।

1.1 कर्मचारियों की संख्या:

विभाग में स्वायत्त निकायों के अलावा नामत: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी)/ सैंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 (सीईएल) में 1 दिसम्बर, 2017 तक विभिन्न समूहों में स्टाफ की स्थिति का विवरण **अनुबंध 12** में दिया गया है।

1.2 राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विभाग का राजभाषा प्रभाग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के स्वायत्त संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निरन्तर प्रयासरत है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए:

- हिन्दी अनुभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन किया गया। इसके अंतर्गत विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, बजट सामग्री, संसद प्रश्न, कैबिनेट नोट, विज्ञापन, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं इत्यादि को द्विभाषी रूप में जारी किया गया।
- विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अब तक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 03 तिमाही बैठकें आयोजित की गई और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

- राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को नियमित रूप से राजभाषा विभाग को भेजा गया।
- विभाग के अधीनस्थ स्वाायत्ते संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित राजभाषा निरीक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान भी सीएसआईआर की पाँच प्रयोगशालाओं (एनसीएल, पुणे, सीएलआरआई, चैन्नई, आईएचबीटी, पालमपुर, आईआईपी, देहरादून और एएमपीआरआई, भोपाल) तथा एनआरडीसी एवं सीडीसी का राजभाषा निरीक्षण किया गया।
- वर्ष के दौरान 03 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें डीएसआईआर के अधिकारियों और कर्मचारियों को 'यूनिकोड और मानक वर्तनी', 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग' तथा 'कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग' आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- विभाग के हिन्दी के लघु पुस्तकालय में इस समय विभिन्न विषयों की 248 पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा हिन्दी की पत्र पत्रिकाएं भी नियमित रूप से मंगाई जा रही हैं।
- दिनांक 11-22 सितम्बर, 2017 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिन्दी टिप्पण और आलेखन, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी निबंध, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी श्रुतलेख (डिक्टेशन) केवल एमटीएस के लिए, राजभाषा नीति, अधिनियम एवं नियम के ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तरी, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गई।

2. वित्त

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की विभिन्न योजना और गैर-योजना स्कीमों के वास्तविक व्यय 2015-2016, बजट अनुमान 2016-2017, संशोधित अनुमान 2016-2017 (सितम्बर, 2016 तक) और बजट अनुमान 2017-2018 को दर्शाते हुए वित्तीय सार तालिका-1 पर दिया गया है।

3. सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण

सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण **अनुबंध-13** में दिए गए हैं।